गोपनीय

(556)

# झारखण्ड सरकार
## उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

पत्रांक- 2537 **संकल्प** दिनांक: 16-10-15

विषय :- विभागान्र्गत निर्माणाधीन 07 (सात) पोलिटेकनिक संस्थान पाकुड, गोला, गुमला, चांडिल, बहरागोडा, जगरनाथपुर एवं गढवा को **PPP Mode** पर संचालित करने हेतु **Jinfra (Transaction Manager)** के साथ किये जाने वाले **Memorandum of Agreement** पर स्वीकृति के संबंध में।

---

दिनांक 16.06.2012 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या 17 के रूप में Public Private Partnership (PPP) Mode के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड के तीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, रामगढ, चाईबासा, दुमका एवं पोलिटेकनिक संस्थान, सिल्ली के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। तदुपरान्त विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्र्गत पूर्व से 03 (तीन) अभियंत्रण महाविद्यालय, दुमका, चाईबासा एवं रामगढ तथा 01 (एक) पोलिटेकनिक संस्थान, सिल्ली का संचालन PPP Mode पर किया जा रहा है। अभियंत्रण महाविद्यालय, रामगढ, चाईबासा एवं पोलिटेकनिक संस्थान सिल्ली में शैक्षणिक वर्ष 2013–14 एवं अभियंत्रण महाविद्यालय, दुमका में शैक्षणिक वर्ष 2014–15 से नामांकन प्रारम्भ किया गया है। प्रथम चरण में PPP Mode पर संचालित इन चारों तकनीकी शिक्षण संस्थानों को 30 वर्षो की अवधि हेतु एकरारनामा के माध्यम से निजी भागीदार को Hand Over किया गया है। Private Partner के चयन हेतु प्रकाशित RFP एवं चयनित निजी भागीदार के साथ किये जाने वाले एकरारनामे (MOU) के शर्त्तो एवं प्रस्ताव को अंतिम रूप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक उच्च समिति द्वारा दिया गया। प्रथम चरण में उक्त संस्थानों के लिए निजी भागीदार का चयन सफलतापूर्वक Jinfra (परामर्शी) के माध्यम से पूर्ण किया गया।

2. वर्त्तमान विभागान्तर्गत सरकारी क्षेत्र में कुल 13 पोलिटेकनिक (राजकीय पोलिटेकनिक, राँची / दुमका / कोडरमा / निरसा / भागा / धनबाद / लातेहार / खरसावाँ / खुटरी / आदित्यपुर तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची / बोकारो / जमशेदपुर) में डिप्लोमा अभियंत्रण / टेक्नोलॉजी की पढाई हो रही है।

विभागान्तर्गत निर्माणाधीन 07 (सात) पोलिटेकनिक में से राजकीय पोलिटेकनिक, गोला, पाकुड, गढवा, चांडिल एवं जगरनाथपुर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं राजकीय पोलिटेकनिक, गुमला एवं बहरागोडा का भवन निर्माण का कार्य मार्च, 2016 तक में पूर्ण होने की संभावना है। इन 07 (सात) निर्माणाधीन पोलिटेकनिक में शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से पढाई प्रारम्भ किया जाना है।

3. तत्कालीन विभागीय मंत्री (उप–मुख्यमंत्री) का वर्त्तमान के छः (06) पोलिटेकनिक संस्थान लातेहार, खरसावाँ, आदित्यपुर, दुमका, कोडरमा एवं भागा को PPP Mode पर संचालित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया गया था। परन्तु, बाद में द्वितीय चरण में इनमें से 03 (तीन) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान लातेहार, खरसावाँ एवं भागा के साथ–साथ निर्माणाधीन राजकीय पोलिटेकनिक, गढवा एवं महेशपुर (पाकुड) को शैक्षणिक वर्ष 2014–15 से PPP Mode पर संचालित करने एवं Jinfra को परामर्शी नियुक्त किये जाने पर तत्कालीन विभागीय परामर्शी

का अनुमोदन प्राप्त किया गया। पुनः दिनांक 02.07.2013 को सम्पन्न राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी विभागान्तर्गत डिप्लोमा शिक्षण संस्थान को PPP Mode पर संचालन हेतु Jinfra को पूर्व के कार्यानुभव को देखते हुए Transaction Manager के रूप में चयन किया गया।

4. प्रथम चरण के अन्तर्गत 03 (तीन) अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 01 पोलिटेकनिक संस्थान के Upgradation, Operation, Maintenance & Management हेतु निजी भागीदार के चयन हेतु PMC (Project Management Consultant) MOA के माध्यम से किया गया था। जिसके अनुसार Success Fee के रूप में Landed Project Cost का 1.5% एवं Applicable Taxes, अधिकतम 20.00 लाख प्रति संस्थान Successful Bidder से सीधे परामर्शी Jinfra को भुगतेय था।

5. वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में Jinfra को दिये जाने वाले शुल्क के संदर्भ में योजना एवं विकास विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। योजना एवं विकास विभाग का मन्तव्य है कि PPP Mode में पोलिटेकनिक संस्थानों के संचालन हेतु Transaction Manager की आवश्यकता एवं भुगतान के बिन्दु पर Jinfra को शुल्क का भुगतान योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 1757, दिनांक 25.10.2012 से अच्छादित नहीं होता है। अतः तत्कालीन विभागीय परामर्शी के द्वारा Jinfra के साथ Negotiate कर Lesser Cost पर कार्य कराने संबंधी प्राप्त आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाय।

6. Jinfra द्वारा 05 (पॉच) पोलिटेकनिक संस्थान (राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार, भागा, खरसावॉ, पाकुड एवं गढवा) हेतु प्रति संस्थान 17.00 लाख एवं लागू कर की राशि Professional Fee के तौर पर मॉग की गई। पुनः 03 (तीन) वर्तमान में संचालित राजकीय पोलिटेकनिक लातेहार, खरसावॉ एवं भागा, 07 (सात) निर्माणाधीन पोलिटेकनिक पाकुड, गोला, गुमला, चांडिल, बहरागोडा, जगरनाथपुर एवं गढवा जिनमें वर्ष 2016–17 से नामांकन संभव है के साथ नये 13 राजकीय पोलिटेकनिक (दुमका, हजारीबाग, बगोदर, गोड्डा, साहेबगंज, जामताडा, चतरा, लोहरदग्गा, पलामू, खुँटी, सिमडेगा, मधुपूर एवं निरसा) जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2015 में प्रारम्भ किया जा रहा है एवं जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से नामांकन प्रारम्भ होना है, उन सब के साथ कुल 23 पोलिटेकनिक हेतु Professional Fee के रूप में प्रति संस्थान 15.00 लाख की राशि एवं Applicable Taxes के साथ मॉग की गई है। संशोधित MOA के अनुसार Professional Fee का भुगतान निम्न तालिका अनुसार पहले विभाग द्वारा किया जाना है –

| Sl. No. | Milestone | % of Professional Fees (for each Institution) |
|---|---|---|
| 1 | On submission of pre-feasiblity report & Project structure | 25% |
| 2 | On issuance of RFP document | 25% |
| 3 | On approval of financial bid evaluation report | 25% |
| 4 | On signing of Agreement with PSP | 25% |

Jinfra को किया गया कुल भुगतान Project Development Expenses के रूप में चयनित Bidder द्वारा विभाग को Reimburse किया जाना है।

7. PPP Mode पर संचालित होने वाले संस्थानों में राज्य कोटा अन्तर्गत उपलब्ध Free Seat पर नामांकन लेने वाले छात्रों को संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/पोलिटेकनिक हेतु

554

निर्धारित शुल्क, शिक्षण शुल्क के रूप में देना पडता है। इन संस्थानों के संचालन में जो भी Running Cost, उपस्कर एवं उपकरण आदि पर व्यय होना है, उसका वहन निजी भागीदार द्वारा किया जाता है। संस्थान का रख-रखाव आदि भी Private Partner के जिम्मे है।

8. प्रथम चरण में राज्य में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सफलतापूर्वक PPP Mode पर संचालन को देखते हुए फिलहाल शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से जिन निर्माणाधीन 07 (सात) पोलिटेकनिक संस्थान-पाकुड, गोला, गुमला, चांडिल, बहरागोडा, जगरनाथपुर एवं गढवा में नामांकन प्रारम्भ होना है, के लिए RFP के माध्यम से Private Partner का चयन करते हुए द्वितीय चरण में इन्हें PPP Mode पर संचालित किया जाएगा। जिसके लिए परामर्शी के रूप में Jinfra के चयन एवं उसके साथ MOA करने के प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक 2480 दिनांक 09.10.2015 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2015 के मद संख्या 06 के रूप में सम्मिलित करते हुए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई है।

9. प्रस्ताव एवं MOA के प्रारूप पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं MOA के प्रारूप पर योजना-सह-वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

16/10/15

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- वि0प्रा0 / PPP(पो)-01 / 2013 2537 /रॉची, दिनांक :- 16.10.15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/15

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- वि0प्रा0 / PPP(पो)-01 / 2013 2537 /रॉची, दिनांक :- 16.10.15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग / विधि विभाग / सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/15

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- वि0प्रा0 / PPP(पो)-01 / 2013 2537 /रॉची, दिनांक :- 16.10.15

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मंत्री के आप्त सचिव / सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / उप निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग / सहायक निदेशक-II को Upload हेतु / प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/15

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव